



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा
संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
National Water Development Agency
(Ministry of Water Resources, River Development
and Ganga Rejuvenation, Government of India)

स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या: 12/19/2018-प्रशा./ 10662-64

दिनांक: 25 जुलाई, 2018

सेवा में,

श्री सुधाकर भानुदास हिवाले,
हिवाले चाल, एम. एवं एम.कम्पाउण्ड,
धमूनगर, कन्दीवैली (पूर्वी),
मुंबई-400101

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में।


महोदय,

आपके आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 30.06.2018 के पत्र के प्रत्युत्तर (Response) में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत मांगी गयी जानकारी के संबंध में यह कहना है कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण में महानिदेशक का एक पद स्वीकृत है। अभी इस पद पर SC/ ST/OBC वर्ग का अधिकारी पदस्थ नहीं है।

यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो पत्र पाने के 30 दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अंतर्गत रा.ज.वि.अ. में प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकते हैं। अपीलीय अधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

श्री आर.के. जैन, मुख्य अभियंता (मुख्या.) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, रा.ज.वि.अ., 18-20 सामुदायिक केन्द्र, साकेत, नई दिल्ली-110017 (e-mail Id -cehqnwda@rediffmail.com) फोन नं. 26852735.

भवदीय,


(नरेन्द्र कुमार)

निदेशक (प्रशा.) एवं सीपीआईओ

☎ 26535141

(e-mail Id -diradm-nwda@nic.in)

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक(प्रशा.) एवं नोडल अधिकारी, रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।
2. निदेशक (एम.डी.यू.), रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली की वेबसाइट पर अपरोड करने के संबंध में।